



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042024-253480  
CG-DL-E-01042024-253480

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946

No. 85]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

(मामला संख्या: एमटीआर 03/2023)

मध्यावधि समीक्षा जांच

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “डेकोर पेपर” के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा (एमटीआर) की शुरूआत।

फा. सं. 7/15/2023-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) ने अधिसूचना फा. सं. 6/38/2020-डीजीटीआर, दिनांक 28 सितंबर, 2021 के माध्यम से अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “डेकोर पेपर” (जिसे यहां आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन

उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। तत्पश्चात प्राधिकारी द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 को समसंख्यक शुद्धि पत्र अधिसूचना जारी की गई थी। केन्द्र सरकार द्वारा सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 27.12.2021 के माध्यम से निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. तत्पश्चात प्राधिकारी द्वारा मेसर्स हांगझोऊ हुआवांग मेव मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर विशिष्ट शुल्क लगाने की सिफारिश करने वाले विशेष सिविल आवेदन सं. 2021 के 16555 में अहमदाबाद में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 11 जनवरी, 2022 के आदेश के अनुपालन में फा. संख्या 6/38/2020-डीजीटीआर दिनांक 10 अप्रैल, 2022 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा एक पूरक अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे। निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश को केन्द्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 15/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 मई, 2022 के माध्यम से लगाया गया था।

#### मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत के लिए अनुरोध और समीक्षा के लिए आधार

3. यतः, नियमावली के नियम 23 के अंतर्गत आयातकों और निर्यातकों से अन्य बातों के साथ-साथ विचाराधीन उत्पाद के दायरे की समीक्षा और मार्जिन के पुनर्निर्धारण की मांग करते हुए सीमित मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करने के लिए निम्नलिखित आवेदन प्राप्त हुए हैं:
  - i. मेसर्स हांगझोऊ हुआवांग न्यू मटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (निर्माता एवं निर्यातक) एवं मेसर्स फकीरसन पापकेम प्रा. लिमिटेड (आयातक)
  - ii. मेसर्स इंडियन लैमिनेट्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईएलएमए) और उसके सदस्य (आयातक/प्रयोक्ता) अर्थात् मेसर्स सेंचुरी प्लाई बोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड, मेसर्स मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेसर्स जेकेएस डेकोर पेपर एलएलपी और मेसर्स थंसाऊ डेकोर्स प्राइवेट लिमिटेड
4. अपने आवेदन में मेसर्स हांगझोऊ हुआवांग ने परिवर्तित परिस्थितियों जैसे मूल कच्ची सामग्री और अन्य इनपुट की लागत और कीमतों में बदलाव, मात्रा में बदलाव, शुल्क लागू होने के बाद उनके द्वारा निर्यातित संबद्ध वस्तु की मात्रा और मूल्य में भारी बदलाव के संबंध में सकारात्मक सूचना प्रस्तुत की है, जिससे उनके सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से उनके मार्जिनों का पुनः निर्धारण आवश्यक हो गया है।
5. अपने आवेदन में आईएलएमए और इसके सदस्यों आयातक/उपयोगकर्ता के साथ आवेदक ने ऐसे उत्पाद के दायरे की समीक्षा की मांग की है जिस पर इस आधार पर शुल्क लगाया गया है कि अंतिम जांच परिणाम दिनांक 10 अप्रैल, 2022, शुद्धि पत्र अधिसूचना दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 और पूरक अंतिम जांच परिणाम दिनांक 10 अप्रैल, 2022 और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27.12.2021 और संख्या 15/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 मई, 2022 में उत्पाद विवरण में विशेष रूप से छूट प्राप्त उत्पाद विवरण के संबंध में एक विसंगति है। यह बताया गया है कि जबकि घरेलू उद्योग स्वीकृत रूप से "मुद्रित डेकोर पेपर" का उत्पादन नहीं करता है, तथापि, छूट प्राप्त उत्पाद विवरण को बिना किसी आधार के "मुद्रित प्रयोग के लिए तैयार डेकोर पेपर" अभिव्यक्ति के साथ उल्लिखित किया गया है और इसकी समीक्षा करने तथा इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

#### जांच की शुरुआत

6. सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 15/2011 दिनांक 1 मार्च, 2011 द्वारा यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के उप नियम (1) और (1क) में अन्य बातों के साथ-साथ इसका पाठ निम्नानुसार है:
7. अधिनियम की धारा 9क के प्रावधान के अंतर्गत लागू कोई पाटनरोधी शुल्क उस समय तक और आवश्यक सीमा तक लागू रहेगा जब तक वह ऐसे पाटन का मुकाबला करता हो जिससे क्षति हो रही है।
8. निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या किसी हितबद्ध पक्षकार, जो समीक्षा की आवश्यकता को सिद्ध करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करता है, के अनुरोध पर जहां आवश्यक हो, किसी पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और ऐसे निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के लागू होने से एक तर्कसंगत समयावधि बीत गई हो तथा ऐसी समीक्षा के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी, यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं

कि पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने या बदले जाने पर घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और इसलिए अब शुल्क आवश्यक नहीं है, तो वह केन्द्र सरकार से उसे रद्द करने की सिफारिश करेंगे।

9. पूर्वोक्त नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी समय-समय पर पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करेंगे और यदि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसे शुल्क को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, तो प्राधिकारी उसे समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश कर सकते हैं।
10. प्राधिकारी के समक्ष पूर्वोक्त आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत करना प्रथम दृष्टया उचित समझते हैं।

#### विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

11. इस एमटीआर जांच के प्रयोजनार्थ पीयूसी वही रहेगा जैसा अधिसूचना फा. संख्या 6/38/2020-डीजीटीआर दिनांक 28 सितंबर, 2021 के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम में परिभाषित किया गया, और नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:  
*विचाराधीन उत्पाद "40-130 जीएसएम के रील रूप में अनकोटेड पेपर, जिसकी क्लेम अवशोषण क्षमता कम से कम 12 एमएम प्रति 10 मिनट है, बैट टेसाइल मजबूती 6-12 एन/15 एमएम, और गुरले पोरसिटी 10-40 सेकंड/100 एमएम है, तथा जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या पिगमेंट फिलर रूप में होते हैं" (जिसे आगे "डेकोर पेपर" या "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है)। यह उच्च दबाव (एचपीएल) या कम दबाव (एलपीएल) डेकोरेटिव लेमिनेट के लिए एक आधार पेपर होता है, जिसे डेकोरेटिव बेस पेपर, उच्च प्रेशर या कम प्रेशर लेमिनेट्स के लिए डेकोरेटिव पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के रूप में भी जाना जाता है, परंतु इसमें मुद्रित प्रयोग के लिए तैयार डेकोर पेपर शामिल नहीं है।*  
*विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डेकोर पेपर शामिल हैं, जैसे सरफेसिंग पेपर (सफेद/ऑफ-व्हाइट), लाइनर (व्हाइट/ऑफ-व्हाइट), बैरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर और प्रिंट बेस पेपर (रंगीन/सफेद)। यह वैक्सिंग, कोटिंग और इम्प्रेगनेशन के लिए बेस पेपर; मुद्रण के लिए बेस पेपर; डेकोरेटिव इंडस्ट्री और बैरियर पेपर में प्रयोग के लिए बेस पेपर के रूप में आयातित किया जा सकता है और यह विभिन्न आकारों जैसे 95 सेमी, 96 सेमी, 102 सेमी, 123 सेमी, 123.5 सेमी, 124 सेमी, 124.5 सेमी, 125 सेमी, 131 सेमी, 132 सेमी, 183 सेमी, 184 सेमी और 185 सेमी के विभिन्न आकारों में आ सकते हैं।*  
*विचाराधीन उत्पाद को प्रेस्ड शीट के रूप में पल्प से उत्पादित किया जाता है जिसे पल्प का घोल बनाने के लिए पानी में डाला जाता है ताकि पल्प को प्रयोग के अनुकूल बनाया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान, फाइबर को अलग किया जाता है। डेकोर पेपर बनाने के लिए फाइबर को यांत्रिक कार्य के जरिए शुद्ध किया जाता है और जलीय माध्यम (जल) की मौजूदगी में बनाया जाता है। विनिर्माण प्रक्रिया में अभिवर्धक डाले जाते हैं जिन्हें फाइबर के बीच के स्थानों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि ओपेसिटी, सफेदी में सुधार किया जा सके और सतह में सुधार के द्वारा मुद्रण की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। तत्पश्चात सफाई के जरिए अवांछनीय चीजों को हटाया जाता है। धुले हुए पल्प विलियन की मात्रा को इसके बाद फाइन, चौड़ी और एक समान शीट के रूप में बदला जाता है, जिसमें सभी घटक पूर्णतः वितरित होते हैं जिसके बाद शीट को निचोड़ा, सुखाया और कैलेंडर किया जाता है। अंत में शीट को आवश्यकतानुसार स्लॉट में रखा और पैक किया जाता है।*  
*विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ सीमाशुल्क वर्गीकरण 48059100 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्राधिकारी ने उक्त जांच में सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण 48022090 के अंतर्गत आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद पर भी विचार किया है। दोनों सीमाशुल्क वर्गीकरणों पर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।*

#### जांच का दायरा

12. तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 77/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27.12.2021 और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 15/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 24 मई, 2022 के

माध्यम से लगाए गए चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “डकोर पेपर” के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की एक व्यापक समीक्षा जांच की शुरुआत करते हैं। इस जांच में अधिसूचना फा. संख्या 6/38/2020-डीजीटीआर 28 सितंबर, 2021 के माध्यम से प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम और अधिसूचना फा. संख्या 6/38/2020-डीजीटीआर दिनांक 10 अप्रैल, 2022 के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी पूरक अंतिम जांच परिणाम के सभी पहलू शामिल होंगे।

#### जांच की अवधि

13. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक की होगी। तथापि, क्षति जांच अवधि में पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि तथा पीओआई शामिल होगी।

#### सूचना प्रस्तुत करना

14. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों [adg16-dgtr@gov.in](mailto:adg16-dgtr@gov.in); [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in); [jd16-dgtr@gov.in](mailto:jd16-dgtr@gov.in) ; [jd15-dgtr@gov.in](mailto:jd15-dgtr@gov.in) पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
15. घरेलू उद्योग, संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना के पैरा 19 में उल्लिखित समयसीमा के भीतर समस्त संगत सूचना देने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
16. जांच में रुचि रखने वाले पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल जांच में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) बताएं और ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया/प्रस्तुति दाखिल करें।
17. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथाविहित ढंग और तरीके से वर्तमान मध्यावधि जांच से संगत अनुरोध कर सकता है।
18. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
19. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना से अवगत होने के लिए वे प्राधिकारी की अधिकारिक वेबसाइट (<http://www.dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखते रहें।

#### अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित ई-मेल पतों भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर और घरेलू उद्योग के आवेदन संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

#### गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. वर्तमान जांच प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. ऐसे अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

24. हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है और यह सूचना उचित और पर्याप्त रूप से सारांश रूप में होनी चाहिए।
25. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि और एडी नियमाली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार इस दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता संबंधी अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
26. अतः सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार, गोपनीयता के दावे के पर्याप्त कारणों के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

#### अन्य हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तर/अनुरोधों को साझा करना

27. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल से भेज दें।

#### असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

### INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2024

Case No. MTR03/2023

(Mid Term Review Investigation)

**Subject: - Initiation of a Mid-term Review (MTR) of the anti-dumping duties in force on the imports of “Decor Paper”, originating in or exported from China PR.**

**F.No.07/15/2023DGTR:**—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Rules), the Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), notified its final findings vide Notification F. No.6/38/2020-DGTR dated 28th September, 2021 and recommended imposition of definitive anti-dumping duty on import of “Décor Paper” (hereinafter referred to as “subject goods” or “the product under consideration”) originating in or exported from China PR. Thereafter, a corrigendum notification of even No. dated 8th October, 2021 was issued by the Authority. The definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 77/2021-Customs (ADD) dated 27.12.2021.

2. Subsequently, a supplementary final finding was issued by the Authority vide F. No.6/38/2020-DGTR dated 10th April, 2022 pursuant to the orders dated 11th January, 2022 of Hon’ble High Court of Gujarat at Ahmedabad in the Special Civil Application No. 16555 of 2021 recommending imposition of specific duty

on the import of subject goods from M/s Hangzhou Huawang New Material Technology Co Ltd, China PR. The recommended definitive anti-dumping duty was imposed by the Central Government vide Customs Notification No. 15/2022-Customs (ADD) dated 24th May, 2022.

### REQUESTS FOR INITIATION OF MID TERM REVIEWS AND GROUNDS FOR REVIEW

3. Whereas, the following applications have been received from importers and exporters, under Rule 23 of the Rules for initiation of limited midterm reviews inter alia seeking for review of the scope of the product under consideration and redetermination of margins:
  - i. M/s Hangzhou Huawang New Material Technology Co. Ltd, China PR (Producer & Exporter) & M/s Fakirsons Papchem Pvt. Ltd. (Importer)
  - ii. M/s Indian Laminates Manufacturers Association (ILMA) along with its members (importers/users) namely M/s Century Plyboards (India) Ltd, M/s Merino Industries Ltd, M/s JKS Décor Paper LLP and M/s Thansau Decors Pvt Ltd
4. In their application M/s Hangzhou Huawang have provided positive information with regard to the changed circumstances such as changes in cost and prices of the basic raw materials and other inputs, changes in volume, values of the subject goods exported by them after imposition of the duties significantly affecting their normal values and export prices which warrants re-determination of their margins.
5. In their application ILMA along with its members (importers/users) have sought review of the product scope on which the duty has been imposed on the grounds that there is an anomaly in the product description in the final findings dated 10th April, 2022, corrigendum notification dated 8th October, 2021 and the supplementary final finding dated 10th April, 2022 and the customs notification No. 77/2021-Customs (ADD) dated 27.12.2021 and No. 15/2022-Customs (ADD) dated 24th May, 2022 particularly with regard to the exempted product description. It has been submitted that while the domestic industry admittedly does not produce "Printed Décor Papers" the exempted product description has been qualified with an expression "Printed Ready to-use Decor Paper" without any basis and needs to be reviewed and rectified.

### INITIATION OF THE INVESTIGATION

6. Sub Rule (1) and (IA) of Rule 23 of the Anti-dumping Rules, as amended vide Customs Notification No. 15/2011 dated 1st March 2011, inter alia, reads as follows:
7. Any anti-dumping duty imposed under the provision of section 9A of the Act, shall remain in force, so long as and to the extent necessary, to counteract dumping, which is causing injury.
8. The Designated Authority shall review the need for the continued imposition of any anti-dumping duty, where warranted, on its own initiative or upon request by any interested party who submits positive information substantiating the need for such review, and a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the definitive anti-dumping duty and upon such review, the Designated Authority shall recommend to the Central Government for its withdrawal, where it comes to a conclusion that injury to the domestic industry is not likely to recur, if the said antidumping duty is removed or varied and therefore no longer warranted.
9. In terms of aforesaid rules, the Authority shall review from time to time, the need for the continued imposition of anti-dumping duty and if it is satisfied on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its withdrawal.
10. On the basis of the information made available by the aforementioned Applicant before the Authority, the Authority considers it prima facie appropriate to initiate a mid-term review of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

### PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

11. The PUC for the purpose of this MTR investigation will remain same as defined in the final findings of the Authority vide Notification F. No.6/38/2020-DGTR dated 28th September, 2021 reproduced below:

*"The product under consideration is "uncoated paper in reel form of 40-130GSM, having klemm absorbency of at least 12 mm per 10 minutes, wet tensile strength of 6-12 N/15 mm, and gurley porosity of 10-40 sec / 100 ml, containing titanium dioxide or pigments as filler" (herein also referred to as "Decor paper" or "subject goods"). It is a base paper for high pressure (HPL) or low-pressure (LPL) decorative laminates, also known as decorative base paper, decorative paper for high-pressure or low-pressure laminates, coating base paper and print base paper, but excluding printed ready-to-use decor paper.*

*The product under consideration includes various types of decor paper, such as surfacing paper (white/off-white), liner (white / off-white), barrier paper, shuttering base, overlay paper and print base paper (color / white). It may be imported as base paper for waxing, coating and impregnation; base paper for printing; base paper for use in decorative industry and barrier paper, and may come in various sizes as 95 cm, 96 cm, 102 cm, 123 cm, 123.5 cm, 124 cm, 124.5 cm, 125 cm, 131 cm, 132 cm, 133 cm, 183 cm, 184 cm and 185 cm.*

*The product under consideration is produced from pulp, in the form of pressed sheets, which have to be slush in water to make pulp suspension so that pulp is suitable for use. During this process, fibres are separated. To produce decor paper, fibres are refined through the action of mechanical work and in the presence aqueous medium (water). Additives are added in the manufacturing process, which are used as filler in the spaces between fibres, with the aim of improving opacity, whiteness and to increase the quality of print by improving the surface. Thereafter, undesirable particles are removed through cleaning. A volume of diluted pulp suspension is next transformed into a fine, wide and uniform sheet, with all components perfectly distributed, post which the sheet is dewatered, dried and calendared. Lastly, the sheets are slotted as per the requirements, and packed.*

*The product under consideration is classified under the Chapter 48 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under the tariff customs classification 48059100. The Authority in original finding has also considered the product under consideration which is being imported under tariff customs classification 48022090. Both the customs classifications have been considered for the purpose of the present investigation. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration."*

### SCOPE OF INVESTIGATION

12. The Authority hereby initiates a comprehensive review investigation of the anti- dumping duties in force on the imports of "Decor Paper", originating in or exported from China PR imposed vide Customs Notification No. 77/2021-Customs (ADD) dated 27.12.2021 and Customs Notification No. 15/2022-Customs (ADD) dated 24th May, 2022. The investigation will cover all aspects of the final findings of the Authority vide notification F. No.6/38/2020-DGTR dated 28th September, 2021 and supplementary final finding issued by the Designated Authority vide notification F. No.6/38/2020-DGTR dated 10th April, 2022.

### PERIOD OF INVESTIGATION

13. The period of investigation (POI) for the purpose of the present review shall be from April 2023 to March 2024. The injury investigation period will, however, cover the period of preceding three years and the POI.

### SUBMISSION OF INFORMATION

14. All communication should be sent to the Authority via email addressed to [adg16-dgtr@gov.in](mailto:adg16-dgtr@gov.in); [adv13-dgtr@gov.in](mailto:adv13-dgtr@gov.in); [jd16-dgtr@gov.in](mailto:jd16-dgtr@gov.in) ; [jd15-dgtr@gov.in](mailto:jd15-dgtr@gov.in) It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
15. The domestic industry, known producers/exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in para 19 of this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority
16. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest, (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the time limit specified above.
17. Any other interested party may also make a submission relevant to the present midterm investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification. the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limit mentioned in this initiation notification.
18. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
19. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <http://www.dgtr.gov.in> for any updated information with respect to this investigation.

### TIME LIMIT FOR SUBMISSIONS

20. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority at the email addresses mentioned above within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of the explanation of the said Rule, the notice calling for the information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it

was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules 1995.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within the time limit as mentioned above.

#### **SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

22. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
23. Such submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as "non-confidential" information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
24. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
25. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentially claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
26. Any submission made without a meaningful non-confidential version therefore without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

#### **SHARING OF RESPONSES/ SUBMISSIONS AMONGST OTHER INTERESTED PARTIES**

27. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

#### **NON-COOPERATION**

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority